उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक D/6709 / जबलपुर, दिनांक 28/12/2021

चार–8–14/67 II-B HCS

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर, म.प्र.
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.,
3. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर/ इंदौर/ ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश.............................समस्त, म.प्र.,
5. संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1, 2/जिला स्था./ई./आई.एल./एक्जाम एण्ड लेबर ज्यूडिशरी,/कम–पी.पी.एस./निरीक्षण एवं सतर्कता, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. मैम्बर/सेक्रेटरी मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा समिति, जबलपुर म.प्र.
9. ओ.एस.डी. .... समस्त, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. ओ.एस.डी. (कम्प्यूटर) उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. एस.पी.एस.ए.(एस.ए.), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर, की ओर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु,
12. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.) .... समस्त, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
13. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.)...................... समस्त, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.) .... समस्त, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
15. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
16. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
17. एडमिनि. ऑफिसर (न्या.)/इंचार्ज .... समस्त, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
18. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/आई.एल.आर. एवं परीक्षा/सतर्कता, महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
19. सहायक संपादक (आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
20. लाइब्रेरियन, ...उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
21. सहायक स्थापना/स्थापना सैट/लेखा/बजट/पेंशन/वेतनपत्रक/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल का परिपत्र क्रमांक 895/1153/2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 21.05.2021 सहपत्रों सहित को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के लिए अंगीकृत करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल का परिपत्र कमांक 895/1153/2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 21.05.2021 सहपत्रों सहित

C&D

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र. /आर 815/1153/2021/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 21.05.2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर ।

विषय :- मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू किये जाने के संबंध में ।

राज्य शासन एतद द्वारा कोविड–19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों में राज्य की सेवा में कार्यरत कार्मिकों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री कोविड–19 विशेष अनुग्रह योजना** लागू की जाती है।

योजना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

21/05/2021

(विवेक कुमार धारू)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

Scanned by CamScanner

3

क्र. 896/आर 1153/2021/नियम/चार भोपाल, दिनांक 21.05.2021

प्रतिलिपि :-

1/ राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल ।

2/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।

3/ निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।

4/ सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।

5/ सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर ।

6/ सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

7/ निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल ।

8/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल ।

9/ सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल ।

10/ रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इन्दोर/ ग्वालियर ।

11/ महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर ।

12/ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।

13/ अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक परीक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश, भोपाल ।

14/ प्रमुख सचिव/सचिव,/उपसचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।

15/ आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल ।

16/ आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।

17/ नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए ।

18/ अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल ।

19/ मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय भोपाल ।

20/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।

21/ समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला मध्यप्रदेश ।

22/ संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल ।

23/ अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय, भोपाल ।

24/ अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ ।

25/ समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

26/ गार्ड फाईल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

21/05/2021

(विवेक कुमार घारू)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

Scanned by CamScanner

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना

1. **प्रस्तावना :-**

राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में कार्यरत समस्त नियमित / स्थाईकर्मी/ दैनिकवेतनभोगी/ तदर्थ/ संविदा/ आऊटसोर्स/अन्य शासकीय सेवक/ सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना निम्नानुसार लागू की जाये।

2. **योजना का उद्देश्य :-**

शासकीय सेवक/सेवायुक्तों की कोविड-19 के उपचार के दौरान/कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात संक्रमित होने के साठ दिवस में बीमारी के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाना है।

3. **पात्र कर्मी :-**

3.1 राज्य के समस्त नियमित/ स्थाईकर्मी/ दैनिक वेतनभोगी/ तदर्थ/ संविदा पर नियुक्त सेवायुक्त जिनका वेतन/ मानदेय/ पारिश्रमिक आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो ।

3.2 विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त जिनका पारिश्रमिक/मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो ।

3.3 विधि द्वारा स्थापित आयोग, एवं ऐसी संस्थाएं जिनका शत प्रतिशत स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से विकलनीय होता है अथवा इस हेतु स्थापना अनुदान दिया जा रहा हो, में कार्यरत सेवायुक्त।

3.4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार ।

4. **पात्रता की शर्तें :-**

4.1 मृत सेवायुक्त के कोविड-19 पॉजिटिव होने के संबंध में चिकित्सकीय प्रयोगशाला की विधिमान्य रिपोर्ट (आरटीपीसीआर/आरएटी) होना चाहिये।

4.2 मृत्यु की तिथि पर शासन में नियोजन/शासकीय कार्य में कार्यरत होना आवश्यक है।

4.3 मृतक शासकीय सेवक/सेवायुक्त पूर्णकालिक रूप से नियोजित/कार्यरत होना चाहिये। अंशकालिक रूप से नियोजित/कार्यरत सेवायुक्त को इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

4.4 वर्तमान में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है उन्हें इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

5. **वित्तीय सहायता :-**

Scanned by CamScanner

5.1 योजना अंतर्गत अधिकतम रूपये 5 लाख तक विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सकेगा। जिन सेवायुक्तों को उनके नियोक्ता द्वारा पूर्व से ही अनुग्रह राशि (एक्सग्रेशिया) एवं मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान या अन्य किसी नियम अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का अन्य उपादान का भुगतान किया जा रहा है तथा सेवायुक्तों को इन शीर्षों में भुगतान की गई कुल राशि रूपये 5 लाख से कम है तो रूपये 5 लाख एवं वास्तविक भुगतान हेतु आंकलित राशि के अन्तर की राशि का भुगतान इस योजना में किया जायेगा।

5.2 जिन सेवायुक्तों को अनुग्रह राशि / उपादान राशि की पात्रता नहीं है, उनके पात्र दावेदार को रूपये 5 लाख का भुगतान किया जायेगा।

5.3 परिवार में एक से अधिक सेवायुक्तों के योजनांतर्गत पात्र होने की स्थिति में प्रत्येक सदस्य के निधन पर निर्धारित गणना अनुसार पृथक पृथक राशि देय होगी।

6. <u>योजना की अवधि :-</u>

यह योजना 01 मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी।

(स्पष्टीकरण- यदि सेवायुक्त योजनावधि में कोविड-19 पॉजिटिव था लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के पश्चात कोविड-19 पॉजिटिव होने के 60 दिवस के भीतर हो जाती है तो इस स्थिति में भी पात्र दावेदार को विशेष अनुग्रह राशि की पात्रता होगी।)

7. <u>प्रकरण स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी :-</u>

7.1 जिलों में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु के समय उनके नियुक्ति स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने अभिमत सहित प्रकरण संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले के कलेक्टर योजनांतर्गत सक्षम स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकृत रहेंगे।

7.2 कार्यालय प्रमुख की मृत्यु के प्रकरण में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे।

7.3 मंत्रालय/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ सेवायुक्तों के प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग/संबंधित विभागाध्यक्ष अनुग्रह राशि स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे।

7.4 राजभवन/विधानसभा/उच्च न्यायालय की स्थापना में कार्यरत सेवायुक्तों के प्रकरणों हेतु प्रमुख सचिव राजभवन/ प्रमुख सचिव विधानसभा/रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय सक्षम प्राधिकारी होंगे।

8. <u>आहरण संवितरण अधिकारी :-</u>

संबंधित सेवायुक्त की मृत्यु के समय जिस कार्यालय से उसका अन्तिम वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक का आहरण किया गया हो उसी कार्यालय के आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा योजना अंतर्गत सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर कोषालय से राशि आहरण की जायेगी । राशि का आहरण उसी बजट शीर्ष से किया जायेगा जिससे मृतक सेवायुक्त का अंतिम वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है।

टीप :- आउटसोर्स के माध्यम से सेवा प्रदान कर रहे सेवायुक्तों के लिये योजनांतर्गत राशि का भुगतान उनकी सेवायें प्रदान करने वाली एजेंसी के स्थान पर संबंधित दावेदार के खाते में किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

9. **दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-**

9.1 दावेदार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट-1 अनुसार दावा प्रपत्र भरकर इसे उस कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिये जहां संबंधित शासकीय सेवक/सेवायुक्त मृत्यु के पूर्व कार्यरत था। संबंधित कार्यालय प्रमुख दावे का प्रसंस्करण करेगा, एवं परिशिष्ट-2 अनुसार सक्षम स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को दावा प्राप्त होने के तीन कार्य दिवस में अनिवार्यत: प्रेषित करेगा । सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर आहरण संवितरण अधिकारी देयक तैयार करेगा और अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिये कोषालय में देयक जमा करायेगा। कोषालय के द्वारा संबंधित दावेदार के खाते में राशि जारी की जायेगी।

9.2 अनुग्रह राशि हेतु दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 अथवा योजना की अवधि की समाप्ति के 3 माह पश्चात की दिनांक, होगी। अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारणों से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी अधिकतम छः माह तक का विलंब माफ कर सकेंगे।

9.3 अनुग्रह राशि हेतु दावा प्रस्तुत करने की पात्रता के क्रम में पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) प्रथम हकदार होंगे। इनके न रहने की स्थिति में विधिक सन्तानों (एक से अधिक होने पर बराबर राशि) तथा विधिक सन्तान न होने पर माता /पिता, को दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा ।

10. **अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल/संस्थाओं/प्राधिकरण/विश्वविद्यालयों/नगरीय निकायों/ पंचायती राज संस्थाओं के नियोजन हेतु**

10.1 राज्य शासन के निगम/मण्डल/संस्थाओं/प्राधिकरण/विश्वविद्यालय उनकी स्थापना में कार्यरत नियमित/स्थाईकर्मी/दैनिकवेतनभोगी/तदर्थ/संविदा/आउटसोर्स सेवायुक्तों को उनके शासी निकाय के अनुमोदन से योजना का संचालन कर सकते हैं । शासी निकाय द्वारा योजनांतर्गत प्रकरणों की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी का नामांकन किया जायेगा।

10.2 नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की स्वीकृत स्थापना में कार्यरत नियमित/स्थाईकर्मी/दैनिकवेतनभोगी/तदर्थ/संविदा/आउटसोर्स सेवायुक्तों को उनके प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्णय लिया जाकर योजना को लागू किया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में योजनांतर्गत स्वीकृति देने के लिये सक्षम प्राधिकारी जिला कलेक्टर होंगे।

10.3 राज्य शासन के निगम/मण्डल/संस्थाओं/प्राधिकरण/विश्वविद्यालयों तथा नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत योजना संचालन की स्थिति में उनकी स्वयं की निधि से योजनांतर्गत अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा।

टीप :- यदि उपरोक्त किसी संस्था को योजना अंतर्गत स्वीकृत अनुग्रह राशि भुगतान हेतु वित्तीय व्यवस्था में कठिनाई परिलक्षित होती है तो समुचित कारण सहित राशि की मांग का प्रस्ताव अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

11. अनुग्रह राशि के भुगतान संबंधी उक्त उपबंधों का निर्वचन तथा कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किये जा सकते हैं।

Scanned by CamScanner

7

<u>परिशिष्ट-1</u>

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र :-

प्रति,

कार्यालय प्रमुख

....

....

श्री/श्रीमती/सुश्री .... कार्यालय .... में नियमित/स्थाईकर्मी/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/संविदा/आऊटसोर्स/अन्य के रूप में .... कार्यरत थे। (यदि लागू हो) वे ....पद पर कार्यरत थे। इनका कोविड-19 के उपचार के दौरान/कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात संक्रमित होने के साठ दिवस में बीमारी के कारण दिनांक .... को निधन हुआ है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजनांतर्गत पात्रतानुसार अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

दावेदार/दावेदारों के नाम हस्ताक्षर ....

पता एवं दूरभाष/मोबाईल नंबर ....

दावेदार का रंगीन छायाचित्र

संलग्न दस्तावेजों की सूची:-

i. मृतक सेवायुक्त का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति)

ii. दावेदार का पहचान प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति)

iii. मृतक और दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाणपत्र (प्रमाणित प्रति)

iv. मृतक के परिवार का विवरण- मृतक के पति/पत्नी (जैसा लागू हो), विधिक संतानें/माता पिता का विवरण (अभिलेखीय साक्ष्य की प्रमाणित प्रति)

v. प्रयोगशाला रिपोर्ट (आरटीपीसीआर/आरएटी) जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोविड-19 के परीक्षण में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है।(मूल या प्रमाणित प्रति में)

vi. मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल में)

vii रद्द (कैंसिल) किया हुआ चैक (मूल में) /पासबुक की छायाप्रति जिसमें बैंक खाते का संपूर्ण विवरण उपलब्ध हो

viii. आऊटसोर्स सेवायुक्त की स्थिति में संबंधित आऊटसोर्स एजेन्सी का मृतक के नियोजन के संबंध में प्रमाण पत्र।(प्रमाण पत्र की मूल प्रति)

ix. कोविड-19 पॉजिटिव के उपचार के दौरान मृत्यु हुई अथवा कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात किसी बिमारी से मृत्यु होने के संबंध में चिकित्सक का प्रमाण पत्र । जहां चिकित्सक का प्रमाण पत्र देना संभव नहीं हो तो इस संबंध में परिवार का सेल्फ सर्टिफिकेशन जिसमें मृत्यु की परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख हो ।

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट-2

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के अंतर्गत प्रस्तुत दावे को

कार्यालय प्रमुख द्वारा सक्षम स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप :-

प्रति,

सक्षम स्वीकृतकर्ता अधिकारी

....

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना

विषय :- मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत प्राप्त दावे की स्वीकृति हेतु ।

—ooo—

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत कोविड-19 के कारण मृत हुए सेवायुक्त श्री/श्रीमती/सुश्री ....को पात्रतानुसार अनुग्रह राशि स्वीकृति हेतु दावेदार श्री/श्रीमती/सुश्री .... द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है। कार्यालयीन परीक्षण अनुसार दावेदार को योजनांतर्गत अनुग्रह राशि स्वीकृति की पात्रता है। पात्रता राशि का गणना पत्रक एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी प्रमाणीकरण संलग्न है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजनांतर्गत पात्रतानुसार अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

कार्यालय प्रमुख

नाम, हस्ताक्षर एवं सील

संलग्न दस्तावेजों की सूची:-

i. दावेदार द्वारा निर्धारित दावा प्रपत्र एवं संलग्न दस्तावेज (परिशिष्ट-1)

ii. अनुग्रह राशि का गणना पत्रक (परिशिष्ट-3)

iii. कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण(परिशिष्ट-4)

Scanned by CamScanner

(परिशिष्ट-3)

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना राशि का गणना पत्रक

मृतक सेवायुक्त का नाम ..../ कार्यालय का नाम......................../ पद...................... (यदि लागू हो) को देय राशि का विवरण-

1. अनुग्रह राशि (एक्सग्रेशिया) - (अ)
2. उपादान की राशि - (ब)
3. कुल भुगतान योग्य/की गई राशि - (स = अ+ब)
4. देय अनुग्रह राशि = रूपये 5 लाख - (स)

कार्यालय प्रमुख

नाम, हस्ताक्षर एवं सील

Scanned by CamScanner

(परिशिष्ट-4)

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना हेतु

कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... जिनका कोविडग्रस्त होने के पश्चात,बीमारी से कोविड-पॉजिटिव होने के दो माह की सीमा में मृत्यु हो गई है, मृत्यु के समय इस कार्यालय में नियमित/स्थाईकर्मी/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/संविदा/आऊटसोर्स/अन्य के रूप में (यदि लागू हो) .... पद पर कार्यरत थे।

कार्यालय प्रमुख

नाम, हस्ताक्षर एवं सील

Scanned by CamScanner